[ 2021 ] 7 एस. सी. आर. 571

यूएफएलएक्स लिमिटेड।

वी.

तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार।

( 2021 की सिविल अपील Nos.4862-4863)

17 सितंबर, 2021

[ संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, जे. जे।]

सरकारी अनुबंधः न्यायिक समीक्षा के दायरे के लिए निविदा-पुरस्कार-आयोजितः ऐसी निविदाओं में हमेशा पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।

राज्य द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के कारण-हालांकि, जांच करने के लिए रूपरेखाएं प्रतिबंधित हैं-उद्देश्य न्यायालय को यह जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण बनाना नहीं है कि निविदा किसे दी जानी चाहिए-अर्थशास्त्र की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि निविदा प्राधिकरण को सबसे अच्छी तरह से पता है कि प्रौद्योगिकी और उनके लिए मूल्य के मामले में क्या उपयुक्त है-वहाँ वाणिज्यिक निविदा मामलों में

वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा का एक पहलू है-केवल इसलिए कि

कंपनी अधिक कुशल है, बेहतर तकनीक प्राप्त करती है, अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां करती है और इस प्रकार अधिक सफल होती है, यह उस बहाने से उस कंपनी को व्यावसायिक सफलता से वंचित करने का एक कारक नहीं हो सकता है-इसके अलावा, हर सफल पक्ष के लिए जिसे निविदा मिलती है, ऐसे पक्ष हो सकते हैं जिन्हें निविदा प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि केवल एक ही सबसे कम निविदा हो सकती है-तथ्यों पर, पॉलिएस्टर आधार होलोग्राम उत्पाद शुल्क लेबल की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जारी करना जिसे राज्य सरकार द्वारा बेची जाने वाली शराब की बोतलों की टोपी पर चिपकाया जाना चाहिए।

विभिन्न तकनीकी विनिर्देशों और पात्रता मानदंड दो संभावित निविदा पक्षों ने निविदा प्रक्रिया को चुनौती दी-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया

हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्देश दिया कि

एक नई निविदा जारी करने के लिए राज्य, प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक समीचीनता पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में लगभग बैठक में गलती हुई, जो एक अदालत की भूमिका नहीं है जो एक अदालत को निभानी चाहिए-ऐसा प्रतीत होता है कि दो संभावित निविदा पक्षों ने सफल होने वाले पक्ष के रास्ते में लगातार बाधाएं पैदा करने का प्रयास किया क्योंकि वे सफल नहीं हो सके-जब संबंधित समितियां संभावित पक्षों के सुझावों पर विचार कर रही थीं, तो पक्ष अदालत में चले गए-पक्षों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को समितियों द्वारा पहले ही संबोधित किया जा चुका है-इस प्रकार, दोनों पक्षों द्वारा पारित आदेश

डिवीजन बेंच को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार कर दिया जाता है-भारत का संविधान-कला। 226 .

खर्चः वाणिज्यिक मामले-लागतों का अधिनिर्णय-आयोजितः आम तौर पर

न्यायिक प्रणाली लागत लगाने में संकोच करती है, यह मानते हुए कि

वकील पर विचार-एक राज्य के खिलाफ अधिकारों को लागू करने के लिए एक संघर्ष में अलग सिद्धांत लागू होता है-हालांकि, वाणिज्यिक मामलों में लागत का पालन करना चाहिए-वाणिज्यिक मामलों की जांच के लिए निविदा क्षेत्राधिकार बनाया गया था-यदि पक्ष लगातार निविदाओं के पुरस्कार को चुनौती देना चाहते हैं, तो उत्तराधिकारी पक्ष को लागत मिलनी चाहिए।

और जो पक्ष हारता है उसे लागत का भुगतान करना होगा-तथ्यों, मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों पर

आर्थिक रूप से मजबूत हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए एक व्यावसायिक निर्णय लिया है

इस न्यायालय तक विवाद-उन्हें वर्तमान कार्यवाहियों में सफलता या विफलता के परिणामों और लागतों का सामना करना चाहिए। इसके अलावा, तत्काल कार्यवाही एक रिट कार्यवाही यू/आर्ट से उत्पन्न होती है। 226 लेकिन यह वास्तव में एक वाणिज्यिक विवाद है, इस प्रकार, असफल

पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता कि वर्तमान विवाद एक रिट कार्यवाही है

-

शुल्क के बिल और लागत के आधार पर निर्धारित वास्तविक लागत प्रत्यर्थी कंपनियों को अपीलकर्ता-सफल निविदाकार को 23 लाख रुपये और राज्य को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश जारी करना।

मुकदमे का बचाव करने के लिए सरकार।

खर्चः पुरस्कार-इंग्लैंड, संयुक्त राज्य में प्रचलित सिद्धांत

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और कनाडा के राज्यों ने दीवानी मुकदमेबाजी और वाणिज्यिक मुकदमेबाजी में लागत प्रदान करते हुए कहा।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 वाणिज्यिक निविदा मामलों में एक पहलू है

टेंडर मिलता है वहाँ ऐसे पक्ष हो सकते हैं जिन्हें टेंडर नहीं दिया गया हो क्योंकि केवल एक एल-1 हो सकता है। सवाल यह है कि क्या न्यायिक

स्वतंत्रता को कम करने के लिए प्रक्रिया का सहारा लिया जाए जो केवल इसलिए कि वह एक राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण है, निविदा देने वाले पक्ष ने उक्त प्रक्रिया को और भी बोझिल बना दिया है।

ऐसी निविदाओं में हमेशा पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।

राज्य द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के कारण, लेकिन जिन रूपों के तहत उनकी जांच की जानी है, वे हैं -

प्रतिबंधित। इसका उद्देश्य न्यायालय को अपीलीय बनाना नहीं है। निविदा किसके लिए होनी चाहिए, इसकी जांच करने के लिए प्राधिकरण

सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्र को अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए यू. एफ. एल. ई. एक्स. लिमिटेड।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार।

निविदा प्राधिकरण को सबसे अच्छी तरह से पता है कि उनके लिए प्रौद्योगिकी और मूल्य के मामले में क्या उपयुक्त है। [ पैरा 40] [600-डी-एफ]

2.1 तत्काल विवाद का इतिहास कई बार पहले भी रहा है

मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयास जो असफल साबित हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में वे उतने सफल नहीं रहे हैं जितना वे बनना चाहते हैं। केवल इसलिए कि एक कंपनी अधिक कुशल है, बेहतर तकनीक प्राप्त करती है, अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां करती है और इस प्रकार, अधिक सफल होती है, उस बहाने से उस कंपनी को व्यावसायिक सफलता से वंचित करने का एक कारक नहीं हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही हो रहा है; कि दो मूल याचिकाकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तराधिकारी दल के रास्ते में बाधाएं केवल इसलिए पैदा करें क्योंकि वे स्वयं इतने सफल नहीं हुए थे। इस प्रकार यह विचार है कि खंड पीठ ने प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक औचित्य पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में लगभग बैठक करने में गलती की है, जो वह भूमिका नहीं है जो एक न्यायालय को निभानी चाहिए। [ पैरा 41] [600-जी-एच; 601-ए-बी]

2.2 निविदा प्रक्रिया से पहले नियंत्रण और संतुलन

स्वयं विभिन्न समितियों के गठन द्वारा प्रदान किया गया है, विशेष रूप से तकनीकी विनिर्देशन समिति और निविदा जांच और अंतिम समिति। इसका उद्देश्य इन समितियों की भूमिका को अलग से परिभाषित करना है। [ पैरा 42] [601-बी-सी]

2.3 राज्य सरकार द्वारा ऐसी तकनीक का उपयोग करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है जो जहरीली शराब को पीने से रोक सके।

बेचा जा रहा है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि तमिलनाडु में शराब की बिक्री के माध्यम से एक बड़ा राजस्व संग्रह होता है। इस प्रकार यह देखने के लिए राज्य पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि अपने राजस्व को अधिकतम कैसे किया जाए और नकली जैसी स्थितियों को रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाए। शराब, जो बदले में उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के अलावा राजस्व संग्रह में बाधा डालेगी। [ पैरा 43] [601-सी-डी]

2.4 जिसे "पेटेंट तकनीक" कहा गया था, उसके बारे में शिकायत की गई थी। उस स्तर पर जब संबंधित

समितियाँ अभी भी पक्षों की आपत्तियों/सुझावों को देख रही थीं, के और ए अदालत में पहुंचे। राज्य सरकार [2021] 7 एस. सी. आर

केवल पोलरॉइड के माध्यम से दिखाई देने वाले छिपे हुए पाठ से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक शुद्धिपत्र जारी करके राहत प्रदान की, क्योंकि एक पहचानकर्ता के रूप में फिल्म के साथ देखने योग्य रंग परिवर्तन पृष्ठभूमि इस कथित पेटेंट तकनीक की कठोरता को आकर्षित नहीं करती थी। [ पैरा 44] [601-ई-एफ]

2.5 जहाँ तक भाग लेने वाली संस्थाओं का संबंध है, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकृति के मामलों में। वास्तव में, प्रत्येक निविदा में कुछ योग्यता मानदंड होते हैं चाहे वह प्रौद्योगिकी हो या कारोबार। द.

न्यायालय इस बात पर निर्णय नहीं दे सकता कि किसी संस्था के भाग लेने के लिए आवश्यक कारोबार क्या होना चाहिए। केवल एक सीमित कंपनी को भाग लेने की अनुमति दिए जाने से उत्पन्न निषेध को फिर से एलएलपी को भाग लेने की अनुमति देने वाले शुद्धिपत्र द्वारा संबोधित किया गया था। यदि के और ए जैसी संस्थाएं भाग लेना चाहती हैं तो उन्हें कुछ लेना होगा। आवश्यक कार्रवाई। ए पहले से ही एक एलएलपी है। के इस बात पर जोर नहीं दे सकता कि यह होगा

केवल एक साझेदारी बने रहें और इस प्रकार, वह साझेदारी

अनिवार्य रूप से भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। [ पैरा 45] [601-एफ-एच; 602-ए]

2.6 जहां तक निविदा अधिनियम के आधार पर के की याचिका का संबंध है, प्रावधानों को पढ़ने से पता चलेगा कि न्यूनतम निविदा की कीमत से मेल खाने की उनकी इच्छा के आधार पर एमएसएमई को आदेश के 25 प्रतिशत तक कुछ लाभ दिया जाना चाहिए। हालांकि, उस लाभ का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए, यह एक ऐसी इकाई होनी चाहिए जो निविदा के संदर्भ में बोली लगाने में सक्षम हो।

शर्तें। एलएलपी की सीमित कंपनियों तक भागीदारी को सीमित करने के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है। निविदा अधिनियम में घरेलू उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम में परिभाषित किसी भी सूक्ष्म और लघु उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तर्क भी एक विचार के बाद प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि के ने एमएसएमई जैसे अधिकार का दावा करते हुए भाग लिया था। [ पैरा 46] [602-बी-सी] 2.7 तीन बोलीदाता थे और उनमें से एक तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करता था लेकिन वित्तीय मामलों में आगे सफल नहीं हुआ।

एन. आई. टी. के तहत मुद्दे और कारोबार। उसी का उपयोग पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रकृति की कोमलता से निपटने के दौरान जहां निर्वात नहीं हो सकता है। यदि आवश्यकता से कम भागीदारी है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में निविदा के नियमों और शर्तों ने निर्णय उन्मुख यू. एफ. एल. ई. एक्स. लिमिटेड का पालन किया है।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार।

व्यवस्थित विश्लेषण-डी. ओ. एस. ए., और किसी भी तरह निविदा देने के लिए दलों में से एक। विभिन्न राज्यों की कई निविदाओं में इसी तरह की शर्तें निर्धारित की गई हैं और अलग-अलग उत्तराधिकारी पक्ष रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों सफल दलों की सफलता दर है

निश्चित रूप से अधिक लेकिन यह सराहना नहीं की जा सकती है कि यह कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार बन सकता है कि अन्य लोगों को निविदा प्राप्त करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। अगर कोई कह सकता है, तो यह देखने के लिए एक डी. ओ. एस. ए. बन जाएगा कि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी पार्टी सफल नहीं होती है। निविदा में लेकिन अन्य पक्ष जो संपर्क करते रहते हैं

कोर्ट को पाई का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। यह उद्देश्य नहीं हो सकता है। [ पैरा 47] [602-डी-जी]

2.8 प्रस्तुतियाँ इस तथ्य के आधार पर कि दोहराए गए

ए और के के प्रयास न केवल उच्च न्यायालय के समक्ष बल्कि इसी तरह की चुनौती के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष विफल रहे हैं। इसी तरह की निविदा शर्तों को बरकरार रखा गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बार जब कोई निविदा जारी की जाती है, तो के और ए को किसी न किसी बहाने से रोक लगाने की अनुमति दी जाएगी। एन. आई. टी. की शर्तों की जांच करना वास्तव में न्यायालय का कार्य नहीं है, क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसकी न्यायिक जांच में समीक्षा की जा सकती है। [ पैरा 48] [602-जी-एच; 603-ए]

2.9 दोनों के बीच वित्तीय संबंधों में जाने के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा बहुत जोर दिया गया है।

कंपनियाँ, अर्थात, अपीलार्थी और एम कंपनी। इस मुद्दे की जांच करने का सही तरीका यह होना चाहिए था कि क्या

अधिकार या किसी भी देय ऋण का दावा करने वाले शेयरधारक, जहां निगमित पर्दा उठाने का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। कुछ आयकर कार्यवाही में क्या कहा गया होगा, क्या एक कंपनी के धन का एक छोटा प्रतिशत उपयोग किया गया है दूसरे में निवेश शायद ही ऐसे सिद्धांत हैं जो इस तरह के निविदा मामले में लागू होने चाहिए। [ पैरा 49] [603-ए-डी] [2021] 7 एस. सी. आर.

2.10 विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग कर दिया जाता है। [ पैरा 50] [603-डी]

3.1 कारण के बाद की लागत एक सिद्धांत है जिसका अधिकांश देशों में पालन किया जाता है। अक्सर एक हिचकिचाहट प्रतीत होती है

लागत लगाने के लिए न्यायिक प्रणाली, यह मानते हुए कि यह एक प्रतिबिंब है वकील के बारे में। यह सही तरीका नहीं है। किसी राज्य के खिलाफ अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संघर्ष में अलग-अलग सिद्धांत लागू होते हैं लेकिन वाणिज्यिक मामलों में लागत को कारण का पालन करना चाहिए। [ पैरा 51] [603

ई-एफ]

3.2 लागत प्रदान करते समय जिन हितकारी सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, वे यह हैं कि लागत सामान्य रूप से घटना के अनुरूप होनी चाहिए; वास्तविक लागतों को लगातार बढ़ते मुकदमेबाजी के खर्चों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाना चाहिए; और लागत को तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। भारत में यह प्रयास हमारे देश के लिए अद्वितीय नहीं है और एक तरह से घटना के बाद लागत के इंग्लैंड में प्रचलित सिद्धांत को अपनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति कुछ अलग हो सकती है लेकिन फिर अलग-अलग सिद्धांत लागू होते हैं जहां चैम्पर्टी प्रचलित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जैसे अधिकांश देशों में विवेकाधिकार न्यायालय के पास है। लागतों के लिए एक आनुपातिकता होनी चाहिए और यदि वे अनुचित हैं, तो संदेह का समाधान इसके पक्ष में किया जाएगा

भुगतान करने वाली पार्टी। इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों के अनुसार, लागत देने के विवेकाधिकार का उपयोग न्यायिक रूप से और कारण और न्याय के अनुसार किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं कि लागत के बारे में क्या आदेश (यदि कोई हो) देना है, तो अदालत को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए,

जिसमें शामिल हैंः सभी पक्षों का आचरण; क्या कोई पक्ष अपने मामले में सफल हुआ है, भले ही वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ हो; और अदालत में कोई भुगतान या अदालत के ध्यान में लाए गए पक्ष द्वारा किए गए निपटारे के लिए स्वीकार्य प्रस्ताव। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और कनाडा में समान सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो काफी हद तक सामान्य कानून सिद्धांत पर आधारित हैं। वास्तव में कनाडा में, मैनिटोबा विधि आयोग की रिपोर्ट ने 'लागतों' का विश्लेषण किया।

सिविल मुकदमेबाजी में पुरस्कार 'और व्यापक लक्ष्यों को संदर्भित करते हैं। [ पैरा 53,54,55] [604-बी-जी; 605-सी-डी]

3.3 उक्त को इसलिए निर्धारित किया गया है ताकि उन सिद्धांतों की सराहना की जा सके जो वाणिज्यिक मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने में पक्षकारों को शामिल करते हैं।

वाणिज्यिक हितों पर विचार करना चाहिए, जिसमें यू. एफ. एल. ई. एक्स. लिमिटेड शामिल होगा।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार।

मामले के परिणाम अनुकूल नहीं हो रहे हैं

अदालतों द्वारा विचार। मूर्खतापूर्ण अपील नियम नहीं होना चाहिए। मामले के दिए गए तथ्यों में, प्रतिवादी एकल न्यायाधीश के समक्ष विफल होने के बावजूद खंड पीठ के समक्ष सफल हुए हैं। यह कहना पर्याप्त है कि सभी पक्ष वित्तीय रूप से मजबूत हैं और उन्होंने इस कानूनी लड़ाई को इस न्यायालय तक ले जाने के लिए एक व्यावसायिक निर्णय लिया। इस प्रकार, उन्हें वर्तमान कार्यवाही में सफलता या विफलता के परिणामों और लागतों का सामना करना चाहिए। [ पैरा 56] [605-एफ-एच; 606-ए]

3.4 किन लागतों पर खर्च किया गया है, इसका सबसे अच्छा प्रतिबिंब यह है कि पक्षकारों ने परामर्श शुल्क के लिए क्या भुगतान किया है।

जेब खर्च। तत्काल कार्यवाही एक रिट से उत्पन्न होती है।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही लेकिन यह वास्तव में एक वाणिज्यिक विवाद है। इस प्रकार, असफल पक्ष वर्तमान विवाद के लिबास के पीछे नहीं छिप सकता है जो एक रिट कार्यवाही की प्रकृति में है। निविदा क्षेत्राधिकार वाणिज्यिक मामलों की जांच के लिए बनाया गया था और इस प्रकार, जहां पक्ष लगातार निविदाओं के पुरस्कार को चुनौती देना चाहते हैं, तो उत्तराधिकारी पक्ष को प्राप्त करना चाहिए।

लागत और जो पक्ष हारता है उसे लागत का भुगतान करना होगा। यह वास्तव में एक तरफ दो वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच एक लड़ाई थी जो दो अन्य संस्थाओं को निविदा के पुरस्कार को अलग करने की मांग कर रही थी। व्यावसायिक हित और क्या होगा! [ पैरा 57] [606-बी-डी]

3.5 यह उक्त उद्देश्य के साथ है कि पक्षों को अपनी लागत का बिल दाखिल करने के लिए कहा गया था। इसका उद्देश्य इसे सामने लाना था।

उत्तराधिकारी पक्ष के लिए वास्तविक लागत की मात्रा निर्धारित करके सिद्धांत लागू किया गया। शुल्क और लागत के बिल की जांच की जाती है। वास्तविक लागतों की अनुमति देने का झुकाव है। तथापि, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, लागतों को इंगित सीमा तक संशोधित किया गया है। अधिवक्ता की राशि-ऑन-रिकॉर्ड और उसी के 50 प्रतिशत की अनुमति दें। इस प्रकार, याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को देय कुल लागत 25,750/- (केवल तेइस लाख पच्चीस हजार सात सौ पचास रुपये) होगी। जहां तक इस तरह के मुकदमे का बचाव करने में लागत के मुआवजे का संबंध है, राज्य सरकार को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है और इस प्रकार, रुपये की लागत (केवल सात लाख अड़तालीस हजार रुपये) की अनुमति है। लागतें होंगी

तदनुसार के और ए द्वारा दोनों पक्षों को समान हिस्से में भुगतान किया जाता है। [ पैरा 58-60] [606-D-F] [2021] 7 एस. सी.

टाटा सेल्युलर वी. भारत संघ (1994) 6 एस. सी. सी. 651-पर निर्भर था।

जगदीश मंडल बनाम। उड़ीसा राज्य (2007) 14 एस. सी. सी. 517; मिशिगन रबर बनाम। कर्नाटक राज्य (2012) 8 एस. सी. सी. 216 [2012] 8 एस. सी. आर. 128; मिसरिलाल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. एमएमटीसी और अन्य। ( 2013 ) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 563; कैरेटेलइन्फोटेक लिमिटेड बनाम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। ( 2019 ) 14 एससीसी 81: [ 2019 ] 6 एस. सी. आर. 950; एयर इंडिया बनाम कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (2000) 2 एस. सी. सी. 617 [2000] 1 एस. सी. आर. 505; रौनाक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। आई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (1999) 1 एस. सी. सी. 492 [1998] 3 पूरक। एससीआर 421; मास्टर मरीन बनाम। मेटकाफ और होडकिंसन (2005) 6 एस. सी. सी. 138: [ 2005 ] 3 एस. सी. आर. 666; भारत कुकिंग कोल बनाम। ए. एम. आर. देव (2020) 16 एस. सी. सी. 759; मोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम। उल्हासनगर नगर निगम।

( 2000 ) 5 एससीसी 287: [ 2000 ] 3 एस. सी. आर. 1159; एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स v. भारत संघ (2005) 1 एससीसी 679: [ 2004 ] 6 पूरक। एससीआर 496; अशोक कुमार मित्तल बनाम। राम कुमार गुप्ता (2009) 2 एस. सी. सी. 656: [ 2009 ] 1 एससीआर 125; विनोद सेठ बनाम। देविंदर बजाज (2010) 8 एससीसी 1: [ 2010 ] 7 एससीआर 424; संजीव कुमार जैन बनाम। रघुबीर सरन चैरिटेबल ट्रस्ट (2012) 1 एससीसी 455: [ 2011 ] 12

एस. सी. आर. 744 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

( 2007 ) 14 एस. सी. सी. 517

संदर्भित किया गया है

पै

रा 2

[ 2012 ] 8 एससीआर 128

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[ 2019 ] 6 एससीआर 950

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[ 2000 ] 1 एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[ 1998 ] 3 पूरक। एससीआर 421

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[ 2005 ] 3 एससीआर 666

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

( 2020 ) 16 एस. सी. सी. 759

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[ 2000 ] 3 एससीआर 1159

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[ 2004 ] 6 पूरक। एससीआर 496

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

( 1994 ) 6 एस. सी. सी. 651

उस पर भरोसा करें

पैरा 40 यू. एफ. एल. ई. एक्स. लिमिटेड वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार।

[ 2009 ] 1 एससीआर 125

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

[ 2010 ] 7 एससीआर 424

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

[ 2011 ] 12 एससीआर 744

संदर्भित किया गया है

पै

रा 52

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.4862

4863 2021 से।

उच्च न्यायालय के 29.04.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की रिट अपील Nos.848 और 854 में मद्रास में न्यायिक प्रक्रिया।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिषेक सिंह, अरुण सिन्हा, श्रेष्ठ

आर्य, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अमित आनंद तिवारी, एडिशनल। ए. जी., रंजीत कुमार, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा,

डॉ. ए. एम. सिंघवी, पी. एस. नरसिम्हा, के. वी. विश्वनाथन, सौरभ कृपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपुल स्वाति कुमारी, विवेक जैन, संदीप बागमार आर., सिद्धांत बक्सी, एल. निधिराम शर्मा, निर्वाकर सिंह, टी. महिपाल, अभिनव अग्रवाल, राजीव के. विरमानी, मोहित डी. राम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे।

1. आर्थिक गतिविधि में सरकार की बढ़ी हुई भूमिका और

आर्थिक 'उदारता' देने की इसकी संबंधित क्षमता उस निर्माण का आधार थी जिसे आमतौर पर 'निविदा क्षेत्राधिकार' कहा जाता है। इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता और इसके परिणामस्वरूप अधिकार प्राप्त करना था।

अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए व्यथित पक्ष

निविदा में भाग नहीं लेने वाले पक्ष भी अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना चाहते हैं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। जनहित याचिका ('पी. आई. एल.') अधिकार क्षेत्र को भी इसी उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है, एक ऐसा पहलू जो आम तौर पर न्यायालय द्वारा बाधित किया जाता है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से संविदात्मक मामलों में छद्म मुकदमे का कारण बनता है।

2. इस तरह के संविदात्मक मामलों की न्यायिक समीक्षा की अपनी विशेषता है।

सीमाएँ। प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा के इस संदर्भ में इस न्यायालय ने राय दी है कि इसका उद्देश्य मनमानेपन, तर्कहीनता, अनुचितता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकना है। इसका उद्देश्य [2021] 7 एस. सी. आर. है।

जाँच करें कि क्या निर्णय का विकल्प कानूनी रूप से किया गया है और यह जाँचने के लिए नहीं कि निर्णय का विकल्प सही है या नहीं। निविदाओं का मूल्यांकन करने और अनुबंध देने में, पक्षों को वाणिज्यिक विवेक के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। उस हद तक, समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को एक दूरी पर रहना होगा। 1.

3. हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि एक शिकायत वाला निविदाकार या ठेकेदार हमेशा दीवानी अदालत में हर्जाना मांग सकता है और इस प्रकार,

" काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकारों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए, कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के कारण, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। 9 2

4. एक अर्थ में वेड्सबरी सिद्धांत अवधारणा में निहित है, यानी निर्णय इतना मनमाना और तर्कहीन है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है।

उचित रूप से और कानून के अनुसार कार्य करने वाला कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी

इस तरह के निर्णय पर पहुंच गए होंगे। एक अन्य पहलू जिसे हमेशा ध्यान में रखा जाएगा वह यह है कि जनहित प्रभावित नहीं होता है। उपरोक्त सिद्धांतों के संदर्भ में, इसे मिशिगन रबर v में देखा गया था। कर्नाटक राज्य 3 निम्नानुसार हैः

राज्य तर्कसंगतता की सीमा के भीतर कार्य करता है, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना वैध होगा; ( ख)
निविदा के मूल्य का निर्धारण पूरी तरह से कार्यपालिका के दायरे में है और कार्यपालिका की ऐसी कार्रवाई को निरस्त करने के अलावा इस प्रक्रिया में अदालतों की शायद ही कोई भूमिका है जो मनमाना या अनुचित साबित होती है। अगर सरकार कुछ करती है तो

उन परिस्थितियों में निविदाएं आमंत्रित करके अनुबंध देने जैसे कुछ स्वस्थ मानकों और मानदंडों के अनुरूप,

न्यायालयों का हस्तक्षेप बहुत सीमित है।

1 1 जगदीश मंडल बनाम। उड़ीसा राज्य (2007) 14 एस. सी. सी. 517। 2 आईडी।

3 3 (2012) 8 एस. सी. सी. 216 यू. एफ. एल. ई. एक्स. लिमिटेड।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

( ग) निविदा दस्तावेज की शर्तों को तैयार करने और अनुबंध देने के मामले में, राज्य प्राधिकरणों को अधिक अक्षांश स्वीकार करने की आवश्यकता होती है जब तक कि निविदा प्राधिकरण की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और इसकी वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं पाई जाती है।

अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है;
( घ) निविदाओं के लिए कुछ पूर्व शर्तें या योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार के पास काम को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की क्षमता और संसाधन हैं; और

( ई) यदि राज्य या उसके उपकरण अनुबंध देने में उचित, निष्पक्ष और सार्वजनिक हित में कार्य करते हैं, तो यहां फिर से, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप बहुत प्रतिबंधात्मक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मौलिक दावा नहीं कर सकता है।

सरकार के साथ व्यापार करने का अधिकार।

5. इस न्यायालय द्वारा जांचा गया एक अन्य पहलू यह है कि क्या निविदा के नियम और शर्तें किसी व्यक्ति के अनुरूप बनाई गई हैं।

इकाई। वास्तव में, न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्तमान मामले के तथ्यों में यही तर्क दिया जाना चाहिए। किसी विशेष पक्ष को अनुबंध देने के लिए, एक उल्टा

उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग प्रक्रिया को निविदा शर्तों को इस तरह से विकसित किया जाता है कि केवल एक पक्ष बिल में फिट हो सकता है। इस तरह के प्रयास को "निर्णय उन्मुख व्यवस्थित विश्लेषण" (संक्षेप में "डी. ओ. एस. ए".) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 4

6. इस क्षेत्र में बढ़ती मुकदमेबाजी और अधिकांश मामलों में इसे इस न्यायालय में ले जाने का कारण था कि हमने एक उपसंहार प्रस्तुत किया

कैरेटेल इन्फोटेक लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

& ओरस '। भले ही यह दोहराव के बराबर हो, हमारा मानना है कि वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले विवाद को देखते हुए उन रूपों की सराहना करने के लिए इस पर जोर देने की आवश्यकता है जिनके भीतर वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विश्लेषण और परीक्षण किया जाना है।

" 37. हम विवाद की प्रकृति के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां करना उचित समझते हैं जो हमारे सामने है। आम तौर पर पक्ष अपने अनुबंधों और निविदा शर्तों द्वारा शासित होंगे, और वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी रिट बनाए रखने योग्य नहीं होगा। आर्थिक गतिविधियों में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्षता के कुछ नियंत्रण और संतुलन का निर्माण करना उचित पाया।

4 मिसरिलाल माइन्स प्रा. लि. लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. एम. एम. टी. सी. और अन्य, 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 563। 5 (2019) 14 एससीसी 81।

प्रक्रिया। यही वह दृष्टिकोण है जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में निविदाओं की जांच को जन्म दिया है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि खिड़की बहुत चौड़ी खोल दी गई है क्योंकि लगभग हर छोटी या बड़ी निविदा को अब लगभग नियमित रूप से रिट कार्यवाही में चुनौती दी जाती है। यह बदले में, सार्वजनिक क्षेत्रों की वाणिज्यिक गतिविधियों की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है, जो निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा में हो सकते हैं। यह शायद ही मन में उद्देश्य हो सकता था। अनावश्यक, निविदा प्राधिकरण के दृष्टिकोण के विपरीत, संक्षिप्त विवरणों की बारीकी से जांच, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा अनुबंधों को प्रदान करने को एक बोझिल अभ्यास बनाती है, जिसमें लंबे समय तक मुकदमा दायर किया जाता है। निजी क्षेत्र अक्सर प्रतिस्पर्धा कर रहा है

एक ही क्षेत्र। निजी क्षेत्र में शीघ्रता और दक्षता का स्तर इस प्रकार, अनुबंध अक्सर सार्वजनिक क्षेत्र की निविदाओं को एक गैर-प्रतिस्पर्धी अभ्यास बनाते हैं। यह एक बड़े नुकसान के लिए काम करता है

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए।

38. एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम। नागपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड और Anr.6, इस न्यायालय ने आगे व्याख्या की है

इस पहलू पर, यह देखते हुए कि बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। हस्तक्षेप की अनुमति तभी दी जाती है जब निर्णय लेने की प्रक्रिया इस हद तक मनमाना या तर्कहीन कि कोई भी जिम्मेदार प्राधिकारी, उचित रूप से और कानून के अनुसार कार्य करते हुए, इस तरह के निर्णय पर नहीं पहुंच सकता था। यह आगाह किया गया है कि संवैधानिक न्यायालय

हस्तक्षेप करने में संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है

प्रशासनिक निर्णय और प्रशासनिक प्राधिकरण के लिए उनके विचार को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। के साथ केवल असहमति

निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्याप्त नहीं होगी।

वर्तमान मामले के तथ्यों में, निविदा दस्तावेजों की व्याख्या करने पर प्रतिवादी संख्या 1 का विचार प्रबल होना चाहिए। उत्तरदाता संख्या 1 स्वयं, खंड 20 के शब्दों और प्रारूप की सराहना करते हुए, एक विचारशील दृष्टिकोण अपनाया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता है

प्रत्यर्थी संख्या 1 पर अनुबंध की अपनी व्याख्या पर जोर दिया जाना चाहिए, या न्यायालय से प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए कहना चाहिए। वास्तव में, न्यायालय ने उपरोक्त में अवलोकन किया

5 ) 16 एससीसी 818।

फ्लेक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

निर्णय कि यह संभव है कि निविदा का लेखक एक ऐसी व्याख्या दे सकता है जो संवैधानिक न्यायालय को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह स्वयं हस्तक्षेप करने का कारण नहीं होगा

व्याख्या दी गई। हम इस संबंध में टिप्पणियों को दोहराते हैं। निम्नानुसारः

" 15. हम यह जोड़ सकते हैं कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता, जिसने निविदा दस्तावेज लिखे हैं, उसकी आवश्यकताओं को समझने और उनकी सराहना करने और उसके दस्तावेजों की व्याख्या करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। संवैधानिक न्यायालयों को निविदा दस्तावेजों की इस समझ और प्रशंसा को तब तक टालना चाहिए, जब तक कि समझ में दुर्भावना या विकृति न हो या

प्रशंसा या निविदा की शर्तों के आवेदन में

शर्तें। यह संभव है कि किसी परियोजना का मालिक या नियोक्ता निविदा दस्तावेजों को एक व्याख्या दे सकता है जो नहीं है

संवैधानिक न्यायालयों के लिए स्वीकार्य लेकिन यह अपने आप में एक नहीं है

दी गई व्याख्या में हस्तक्षेप करने का कारण "।

40. हम नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) बनाम में इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पी. एस. पी. सी. एल.) और अन्र. , ' हम में से एक (संजय किशन कौल, जे.) द्वारा लिखित। वाणिज्यिक अनुबंधों की व्याख्या के लिए कानूनी सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। उक्त निर्णय में प्रिवी काउंसिल इन अटॉर्नी की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था

बेलीज के जनरल वी। बेलीज टेलीकॉम लिमिटेड 8 निम्नानुसार हैः

इसका अर्थ लगाने के लिए, चाहे वह एक अनुबंध, एक क़ानून या लेख हो संघ का। यह इसे निष्पक्ष या अधिक उचित बनाने के लिए शर्तों को पेश नहीं कर सकता है। यह केवल यह पता लगाने के लिए है कि उपकरण का क्या अर्थ है। हालाँकि, यह अर्थ आवश्यक रूप से या हमेशा वह नहीं है जो दस्तावेज़ के लेखक या पक्षकार करेंगे

इरादा किया है। ..... "

3 ) 11 एससीसी 508। 9) 1 डब्ल्यूएलआर 1988।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 19. ..... ट्रोलोप एंड कॉल्स लिमिटेड बनाम उत्तर पश्चिम महानगर

क्षेत्रीय अस्पताल बोर्ड लॉर्ड पियर्सन, जिनके साथ लॉर्ड गेस्ट और लॉर्ड डिप्लॉक ने सहमति व्यक्त करते हुए कहाः

" ..... अदालत पक्षों के लिए कोई अनुबंध नहीं करती है। अदालत उस अनुबंध में भी सुधार नहीं करेगी जो पक्षों ने अपने लिए किया है, चाहे सुधार कितना भी वांछनीय क्यों न हो। अदालत का कार्य उस अनुबंध की व्याख्या करना और उसे लागू करना है जो पक्षों ने अपने लिए किया है। अगर एक्सप्रेस शब्द पूरी तरह से स्पष्ट और अस्पष्टता से मुक्त हैं, विभिन्न संभावित अर्थों के बीच कोई विकल्प नहीं हैः स्पष्ट शर्तों को लागू किया जाना चाहिए, भले ही अदालत को लगता हो कि कुछ अन्य शर्तें अधिक उपयुक्त होतीं। एक अप्रकाशित शब्द तभी निहित किया जा सकता है जब अदालत को पता चलता है कि पक्षों ने उस शब्द को अपने अनुबंध का हिस्सा बनाने का इरादा किया होगाः न्यायालय के लिए यह पता लगाना पर्याप्त नहीं है कि इस तरह के शब्द को पक्षकारों द्वारा उचित व्यक्तियों के रूप में अपनाया गया होता यदि उन्हें यह सुझाव दिया गया होताः यह एक ऐसा शब्द रहा होगा जो बिना कहे चला गया, एक ऐसा शब्द जो व्यावसायिक प्रभावशीलता देने के लिए आवश्यक था

अनुबंध, एक शब्द जो, हालांकि मौन, अनुबंध का हिस्सा था जो पार्टियों ने अपने लिए बनाया था।

41. नाभा पावर लिमिटेड (एन. पी. एल.) ने सत्य जैन बनाम मामले में इस अदालत के पहले के फैसले पर भी ध्यान दिया। अनीस अहमद रुश्दी ", जिसने मूरकॉक 1 2 में बोवेन, एल. जे. द्वारा प्रस्तावित व्यावसायिक प्रभावकारिता के सिद्धांत पर चर्चा की। यह स्पष्ट किया गया है कि इस परीक्षण के लिए आवश्यक है कि शब्दों को केवल तभी निहित किया जा सकता है जब यह आवश्यक हो

अनुबंध की विफलता से बचने के लिए अनुबंध को व्यावसायिक प्रभावकारिता दें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल न्यूनतम निहितार्थ होना चाहिए। इस प्रकार, यदि अनुबंध के बिना व्यापार समझ में आता है

शर्तों के निहितार्थ, अदालतों का वही अर्थ नहीं होगा।

42. नाभा पावर लिमिटेड 1 3 में निर्णय के साथ समाप्त हुआ पैरा 72 में निम्नलिखित टिप्पणियाँः

" 72. हालाँकि, हम अंत में सावधानी के एक शब्द का विस्तार कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से वाणिज्यिक अदालतों का प्रयास नहीं होना चाहिए।

3 ) 1 डब्ल्यूएलआर 601 (एचएल)।

हा (ऊपर)।3 ) 8 एससीसी 131।

: 9 ) एलआर 14 पीडी 64 (सीए)।

हा (ऊपर)।

फ्लेक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

अनुबंध की निहित शर्तों को देखना। वर्तमान समय और युग में, अनुबंध बनाना उच्च तकनीकी विशेषज्ञता का विषय है जिसमें अनुबंध का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल सभी पक्षों के कानूनी दिमाग शामिल हैं। इससे पहले स्पष्टीकरण और संदेह मांगने के अवसर भी मिलते हैं ताकि पक्षों को पता चले कि वे क्या कर रहे हैं। इस प्रकार, आम तौर पर एक अनुबंध को उसकी स्पष्ट शर्तों के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए। निहित शब्द एक अवधारणा है, जिसकी आवश्यकता केवल तभी होती है जब पेंटा-परीक्षण का उल्लेख किया जाता है।

उपरोक्त बात अमल में आती है। इसकी सख्त जरूरत है। वर्तमान मामले में, हमने वास्तव में अनुबंध को केवल उसी तरीके से पढ़ा है जैसे वह पढ़ता है। हमने वास्तव में इसमें किसी भी 'निहित शब्द' को नहीं पढ़ा है, लेकिन खंडों के संग्रह से, एक निष्कर्ष पर आते हैं कि अनुबंध क्या कहता है। हमारे विचार से ऊर्जा आवेशों का सूत्र काफी स्पष्ट था। हमने इसे केवल इसकी प्राकृतिक व्याकरणिक आकृति के अनुसार समझाया है। अनुबंध की प्रकृति पर ध्यान दें "।

43. हमने एक बार फिर इस पर जोर देना उचित समझा है।

उपर्युक्त पहलू, विशेष रूप से न्यायालयों द्वारा अनुबंधों की अपनी व्याख्या देने के प्रयासों के संदर्भ में, निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले तीसरे पक्ष के कहने पर, विशेष रूप से निविदा शर्तों के लिए, न कि निविदा तैयार करने वाले पक्ष द्वारा प्रस्तावित किए गए। उद्देश्य यह नहीं हो सकता है कि प्रत्येक अनुबंध में, जहां कुछ पक्ष हार जाएँगे, उन्हें किसी भी तरह चूक करने, सफल पक्षों को अयोग्य घोषित करने का अवसर मिलना चाहिए, जिसके आधार पर

यहां तक कि निविदा जारी करने वाले पक्ष को भी कोई योग्यता नहीं मिलती है। 14

7. टाटा सेल्युलर v में स्पष्ट किए गए सिद्धांतों पर ध्यान देना भी उचित हो सकता है। भारत संघः

" 94. उपरोक्त से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे हैंः ( 1 ) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक मामलों में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

( 2 ) अदालत अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठती है, बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करती है। ( 3 ) अदालत के पास सुधार करने की विशेषज्ञता नहीं है

प्रशासनिक निर्णय। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की जाए

एटेल (ऊपर)।

अनुमति दी जाती है तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

विशेषज्ञों द्वारा। ( 5 ) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जोड़ों में एक निष्पक्ष खेल एक प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक संगत है या

अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र। हालांकि, निर्णय केवल नहीं होना चाहिए

वेड्सबरी सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाए

तर्कसंगतता (ऊपर बताए गए अन्य तथ्यों सहित) लेकिन पक्षपात या सक्रियता से प्रभावित नहीं होने वाली मनमानेपन से मुक्त होनी चाहिए।

दुर्भावना से।

( 6 ) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे बजट में वृद्धि हो सकती है

खर्च "। 15

8. अपने विश्लेषण की रूपरेखा निर्धारित करने के बाद अब हम तथ्यात्मक मैट्रिक्स से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि हम पथ से विचलित न हों। हमने ऊपर बताए गए अपने लिए निर्धारित किया है।

तथ्यः

9. 24.08.2020 पर जी. ओ. (सुश्री)/No.23 (संक्षेप में 'जी. ओ.' के लिए) तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी किया गया और अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया। आयुक्त-II निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण के रूप में जबकि निषेध और उत्पाद शुल्क आयुक्त को निविदा स्वीकार करने वाले के रूप में नियुक्त किया गया था।

टर्नकी आधार पर पॉलिएस्टर आधारित होलोग्राम उत्पाद शुल्क लेबल के उत्पादन और आपूर्ति के उद्देश्यों के लिए एक तकनीकी विनिर्देशन समिति (संक्षिप्त में 'टी. एस. सी.') और एक निविदा जांच और अंतिम समिति (संक्षिप्त में 'टी. एस. एफ. सी.') की नियुक्ति के अलावा प्राधिकरण। स्टिकरों को राज्य सरकार द्वारा अपनी एक उपकरण, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (संक्षेप में 'टीएएसएमएसी') के माध्यम से बेची जाने वाली शराब की बोतलों की टोपियों पर चिपकाया जाना था। निविदा के लिए संभावित बोलीदाताओं और होलोग्राम उत्पाद शुल्क लेबल के मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता थी

15 ( 1994 ) 6 एससीसी 651।

यूएफएलएक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

07.09.2020 द्वारा लेबल विशेषताओं और सुरक्षा मानक पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। 10. टी. एस. सी. की पहली बैठक 09.09.2020 पर आयोजित की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ यह निर्णय लिया गया था कि तकनीकी होना उचित होगा।

विशिष्टताएँ जो प्रकृति में सामान्य हैं ताकि उन विशेषताओं को शामिल करके व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके जो उपलब्ध हैं

कम से कम तीन बोलीदाता। 18.09.2020 पर आयोजित दूसरी बैठक में, रंग परिवर्तन पृष्ठभूमि पर छिपे हुए पाठ के साथ गैर-होलोग्राफिक विशेषताओं के लिए तीन तकनीकी विनिर्देश तैयार किए गए, जो नीचे दिए गए हैं:

डिजाइन की एक पट्टी स्थानांतरित की गई, लेकिन शीर्ष पर टुकड़े टुकड़े में नहीं

आई.

शीर्ष पर दृश्य होलोग्राफिक डिजाइन के साथ होलोग्राम का;

ii.

दूसरी परत पर कूटबद्ध छिपे हुए पाठ/चित्र

रंग पृष्ठभूमि; और

छिपा हुआ रंग हर 45 डिग्री कोण पर बदलना चाहिए।

iii.

यह छिपा हुआ पाठ "तमिलनाडु उत्पाद शुल्क" केवल एक विशेष ध्रुवीय पहचानकर्ता के माध्यम से दिखाई देना चाहिए।

11. इसके बाद टी. एस. सी. ने पहले से मौजूद मानदंडों के अलावा वाणिज्यिक बोली के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने की मांग की ताकि "सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, बेहतर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और रात में उड़ान भरने वालों को प्रतिबंधित किया जा सके।" इस प्रकार, 23.09.2020 पर आयोजित तीसरी बैठक में यह

24.09.2020 पर आयोजित चौथी बैठक में विनिर्देश, पात्रता मानदंड और सामान्य नियम और शर्तों को मंजूरी दी गई और विभिन्न तकनीकी विनिर्देशों और पात्रता मानदंडों के साथ 01.10.2020 पर निविदा आमंत्रित करने का एक नोटिस (संक्षेप में 'NIT') जारी किया गया। बोली-पूर्व बैठक 08.10.2020 पर आयोजित की गई थी जिसमें हमसे पहले उत्तरदाताओं ने अपनी आपत्तियों और चिंताओं को व्यक्त किया और जी. ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से व्यापक भागीदारी पर प्रकाश डाला। निविदा सूचना में कुछ मनमाने शर्तों के बारे में शिकायत करने के साथ-साथ इसका पालन किया जाना चाहिए। 12. तथापि, उपरोक्त के संबंध में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना, दो संभावित निविदा पक्ष, अर्थात्। , एम/एस। कुंभत होलोग्राफिक (संक्षेप में 'कुंभत') और एम/एस। अल्फा लेजरटेक इंडिया एलएलपी (संक्षेप में 'अल्फा') ने अक्टूबर, 2020 में रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें दो अन्य पक्षों द्वारा भी हस्तक्षेप की अनुमति दी गई

थी। इन याचिकाओं को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.02.2021 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. जिस भौतिक पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान कुछ घटनाक्रम हुए थे। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इन पक्षों द्वारा की गई प्रमुख शिकायत क्या है। कुंभट और अल्फा दोनों का प्राथमिक तर्क था कि निविदा की शर्तें यूफ्लेक्स लिमिटेड (संक्षेप में 'यूफ्लेक्स') और मोंटेज एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में 'मोंटेज') के पक्ष में तिरछी थीं। जो शिकायत की गई थी वह निश्चित थी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल यूफ्लेक्स और मोंटेज निविदा आवश्यकताओं के तहत अर्हता प्राप्त करने में सक्षम होंगे, निविदा में आवश्यकताओं को पेश किया गया था। अर्थात। : ( i) सुरक्षा होलोग्राम के निर्माण के क्षेत्र में 8 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता; (ii) बोली लगाने वालों के लिए कम से कम 500 रुपये के पूर्ण पॉलिएस्टर आधारित सुरक्षा होलोग्राम लेबल की आपूर्ति करने की आवश्यकता। 20 पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक के दौरान किसी भी राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग को करोड़ रुपये (एन. आई. टी. के भाग 4 में खंड 4.6 के तहत अतिरिक्त आवश्यकता के साथ कि उक्त आपूर्ति केवल किसी भी राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग को की जानी चाहिए थी ताकि इस उद्देश्य के लिए इसे वैध माना जा सके) और (iii) बोलीदाताओं को सक्षम प्राधिकारी या अंतिम उपयोगकर्ता से संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण पत्र भी जमा करना चाहिए।

14. दूसरा पहलू "हिडन टेक्स्ट ऑन कलर चेंज बैकग्राउंड" सुविधा की तकनीकी आवश्यकता के बारे में की गई शिकायत थी।

यूफ्लेक्स और मोंटेज के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अतीत। हालाँकि, उन आपूर्तिकर्ताओं ने कभी भी किसी भी राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग को आपूर्ति नहीं की थी और इस प्रकार, दोनों शर्तों को संचयी रूप से पूरा नहीं कर सके। मोंटेज और यूफ्लेक्स पर केवल दो बोलीदाता होने का आरोप लगाया गया था जो मौजूदा निविदा शर्तों के तहत अर्हता प्राप्त करेंगे क्योंकि उनके पास पेटेंट तकनीक का उपयोग करने का लाइसेंस था। रिट याचिका का राज्य द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्रामाणिक अभ्यास और कुंभट और अल्फा की आपत्तियों पर 27.10.2020 पर स्पष्टीकरण जारी किए जाने के तथ्य के आधार पर विरोध किया गया था, स्पष्टीकरण जारी होने की प्रतीक्षा किए बिना भी याचिका दायर की गई थी। निविदा शर्तों के लिए शुद्धिपत्र 2 जारी किया गया था जिसके तहत विशेष पोलरॉइड पहचानकर्ता द्वारा छिपे हुए पाठ की पहचान करने की शर्त में ढील दी गई थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि पोलरॉइड पहचानकर्ता के अलावा, छिपे हुए पाठ को फिल्म द्वारा भी पहचाना जा सकता है। केवल सीमित कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दिए जाने की शिकायत को भी एलएलपी को निविदा में भाग लेने की अनुमति देकर पूरा किया गया।

यूएफएलएक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

15. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जांच के दौरान, उत्तरदाताओं को संभावित बोलीदाताओं से बोलियों को स्वीकार करने और निविदा के तकनीकी विनिर्देशों के तहत योग्य बोलीदाताओं के विवरण के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, टी. एस. सी. की दिनांकित 24.12.2020 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें दर्ज किया गया कि जिन तीन बोलीदाताओं ने बोलियां प्रस्तुत की थीं, उनमें से तीनों ने यूफ्लेक्स सहित एन. आई. टी. के अनुसार सभी तकनीकी और उत्पाद विनिर्देशों को संतुष्ट किया।

और मोंटेज। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रकार कम से कम तीन सफल बोलीदाताओं की आवश्यकता को पूरा किया गया।

लेखन अपील दौर;

16. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तथ्यों के संदर्भ में उपरोक्त निष्कर्ष ने कुंभट द्वारा दायर रिट अपीलों को जन्म दिया। और अल्फा दिनांकित 10.02.2021 क्रम को लागू कर रहा है।

17. शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ यह थी कि 24.12.2020 की रिपोर्ट की एक प्रति कुंभट या अल्फा वंचित को नहीं दी गई थी। उन्हें रिपोर्ट की जांच करने का अवसर। वास्तव में, डी. ओ. एस. ए. क्वा यूफ्लेक्स और मोंटेज का आरोप एक बार फिर यह आरोप लगाते हुए लगाया गया कि जी. ओ. के अनुसार सामान्य तकनीकी विनिर्देश निर्धारित करने के जनादेश से विचलन हुआ था।

18. यूफ्लेक्स और मोंटेज की वित्तीय संरचना की मांग की गई थी

01.07.2017 पर पंजीकृत और इस प्रकार एक सीमित कंपनी या एलएलपी होने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता था। 19. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा माँगी गई रिपोर्ट तकनीकी विनिर्देशों पर थी और इस प्रकार, जबकि होलोलिव ने उन तकनीकी विनिर्देशों को पूरा किया था, यह वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार योग्य नहीं था

उपरोक्त लेखा। इसके अलावा, कुंभट एक साझेदारी फर्म होने के नाते,

तर्क दें कि साझेदारी फर्मों का बहिष्कार मनमाना था। यूफ्लेक्स और मोंटेज के बीच संबंध निविदा (सार्वजनिक-निजी [2021] 7 एस. सी. आर.) में तमिलनाडु पारदर्शिता के नियम 15 की भावना का उल्लंघन था।

स्वामित्व खरीद) नियम, 2012 (जिसे इसके बाद 'एस' के रूप में संदर्भित किया गया है), जो हितों के टकराव से संबंधित है, भले ही नियम मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं। उक्त नियम इस प्रकार हैः

" 15. हितों का टकराव। - ( 1 ) यह सुनिश्चित करना निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण और निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि संभावित निविदाकारों के हितों का टकराव न हो

यह निविदा कार्यवाही को प्रभावित करता है।

( क) कोई अन्य संभावित निविदाकार या संघ का सदस्य या इसके किसी भी सहयोगी या घटक का सामान्य नियंत्रण होता है।

शेयरधारक या अन्य स्वामित्व हित; या ( ख) ऐसे संभावित निविदाकार का एक घटक भी एक घटक है।

एक अन्य संभावित निविदाकार का।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में 'घटक' में एक से अधिक आवेदक को स्वामित्व प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाला शामिल नहीं होगा;

या

( ग) ऐसे भावी निविदाकार, या उसके किसी सहयोगी ने किसी अन्य आवेदक या प्रतिवादी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी, अनुदान, रियायती ऋण या अधीनस्थ ऋण प्राप्त किया है या प्राप्त किया है, या उसके किसी सहयोगी ने किसी अन्य आवेदक को ऐसी कोई सब्सिडी, अनुदान, रियायती ऋण या अधीनस्थ ऋण प्रदान किया है या

प्रत्यर्थी, उसका सदस्य या उसका कोई सहयोगी; या ( घ) ऐसे भावी निविदाकार के पास निविदाकार कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य संभावित के समान ही कानूनी प्रतिनिधि है।

निविदा देने वाला; या

( ङ) ऐसे संभावित निविदाकार, उसके सदस्य या उसके किसी सहयोगी का किसी अन्य संभावित निविदाकार के साथ संबंध है, या इसके सहयोगी, प्रत्यक्ष रूप से या आम तीसरे पक्ष/पक्षों के माध्यम से, जो उनमें से किसी एक या दोनों को एक-दूसरे की जानकारी तक पहुँचने की स्थिति में रखता है, या दोनों की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है।

दोनों में से कोई एक; या

( च) ऐसे संभावित निविदाकार, उसके सदस्य या उसके किसी सहयोगी ने निविदाकार आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण के सलाहकार के रूप में भाग लिया है।

और किसी भी यू. एफ. एल. ई. एक्स. लिमिटेड की तैयारी में निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकरण।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

सार्वजनिक निजी के दस्तावेज़, डिज़ाइन या तकनीकी विनिर्देश

साझेदारी (पीपीपी) परियोजना; या
( छ) यदि परियोजना के संबंध में निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण और निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकरण के किसी कानूनी, वित्तीय या तकनीकी सलाहकार को संभावित निविदाकार, उसके सदस्य या उसके किसी सहयोगी द्वारा, जैसा भी मामला हो, किसी भी तरह से संलग्न किया जाता है।

या परियोजना के लिए आकस्मिकः

बशर्ते कि यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसे सलाहकार को आवेदक या प्रतिवादी, उसके सदस्य या सहयोगी द्वारा नियुक्त किया गया था।

अतीत में लेकिन इस तरह के अनुबंध की अवधि समाप्त हो गई थी या संबंधित निविदा दस्तावेज जारी करने की तारीख से 6 (छह) महीने पहले समाप्त कर दिया गया था या जहां ऐसे सलाहकार को वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 3 (तीन) साल की अवधि के बाद नियुक्त किया गया है। परियोजना "।

20. एक वैकल्पिक तर्क जिसे कुंभत ने विकसित करने की कोशिश की, वह यह था कि यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (संक्षेप में 'एमएसएमईडी अधिनियम') के तहत वर्गीकरण के संदर्भ में एक लघु उद्योग के रूप में पंजीकृत है और इस प्रकार, तमिलनाडु निविदा अधिनियम, 1998 में परिभाषित एक घरेलू उद्यम के रूप में योग्य है।

( इसके बाद 'निविदा अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। इस प्रकार, निविदा अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 2 के प्रावधान के अनुसार, यह कुल खरीद का अधिकतम 25 प्रतिशत आपूर्ति करने के लिए बुलाए जाने का हकदार था यदि वह सबसे कम बोली लगाने वाले की कीमत से मेल खाने को तैयार था। तमिलनाडु निविदा नियम, 2000 में पारदर्शिता के नियम 30-ए (जिसे इसके बाद 'निविदा नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) पर भी यह तर्क देने के लिए भरोसा किया गया था कि खरीद वरीयता को घरेलू उद्यमों तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

अल्फा योग्य नहीं था क्योंकि उसके पास होलोग्राम की आपूर्ति में आवश्यक अनुभव नहीं था और इसका व्यवसाय वास्तव में व्यापार की प्रकृति में था। प्रासंगिक वित्तीय वर्षों में से एक में, आय और व्यय विवरण ने वस्तुओं की बिक्री और निर्माण से शून्य कारोबार दिखाया। एलएलपी द्वारा भागीदारी की अनुमति दी गई थी जिसने अल्फा को बोली लगाने में सक्षम बनाया लेकिन कुम्भट के मामले में यह केवल एक एलएलपी के बिना एक साझेदारी फर्म थी। यह तर्क देने की मांग की गई थी कि यह सरकार के लिए उचित था

निकाय विशेष रूप से निगमित संस्थाओं से वस्तुओं की खरीद करेगा ताकि ऐसी संस्थाओं की स्थिरता और अस्तित्व सुनिश्चित किया जा सके।

22. यूफ्लेक्स ने तर्क दिया कि पेटेंट तकनीक के बारे में शिकायत इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं है कि शुद्धिपत्र जारी किया गया है।

पोलरॉइड के अलावा छिपे हुए पाठ की पहचान के लिए फिल्म का उपयोग किया जा सकता है। अव्यक्त छवियों के उत्पादन की तकनीक जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं और केवल ध्रुवीकरण के माध्यम से देखी जा सकती हैं, सामान्य है।

और यूफ्लेक्स और मोंटेज का इस पर एकाधिकार नहीं है।

23. निगमित पर्दा उठाने और मोंटेज में यूफ्लेक्स के निवेश का उल्लेख करने से उत्पन्न होने वाले दूसरे पहलू को इस प्रस्तुति द्वारा निपटाया गया था कि निवेश मोंटेज के भुनाने योग्य, गैर-मतदान, गैर-प्रतिभागी वरीयता शेयरों में था और इस प्रकार, यूफ्लेक्स न तो एक होल्डिंग कंपनी थी और न ही मोंटेज की सहयोगी कंपनी थी। 24. जहाँ तक होलोलिव की बोली की अस्वीकृति का संबंध है, राज्य के वकील ने यह प्रस्तुत करके इसकी व्याख्या करने की मांग की कि

निविदा के भाग 4 की आवश्यकता के विरुद्ध बोली को केवल दूसरे चरण में अस्वीकार कर दिया गया था। 25. डिवीजन बेंच ने हालांकि, राज्य को चार महीने का समय देते हुए दिनांकित 29.04.2021 के विवादित फैसले के संदर्भ में रिट अपील को स्वीकार कर लिया।

मौजूदा सफल को अनुमति देते हुए एक नई निविदा जारी करने का समय

समान नियमों और शर्तों के तहत आपूर्ति प्रदान करना जारी रखने के लिए निविदाकार। नई निविदा को तकनीकी विनिर्देशों के साथ जारी करने का निर्देश दिया गया था जो सामान्य हैं ताकि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके या यदि राज्य का मानना है कि तकनीकी विनिर्देश निविदा के केंद्र में हैं, तो एकल स्रोत खरीद का विकल्प चुनें, हालांकि निविदा अधिनियम की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करके, जिसे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता प्रदान करने और निविदाओं को आमंत्रित करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

26. डिवीजन बेंच के फैसले के तर्क को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

ए। सरकारी आदेश में कहा गया था कि तकनीकी विनिर्देश ऐसा होना चाहिए कि "कई विक्रेता" योग्य हों, जबकि निषेध और उत्पाद शुल्क आयुक्त ने इस वाक्यांश का उपयोग किया है

" तीन से अधिक बोलीदाता "। "कई विक्रेताओं" वाक्यांश का उपयोग "तीन से अधिक बोलीदाताओं" की अभिव्यक्ति के मोटे तौर पर समकक्ष के रूप में किया गया था और दूसरी और तीसरी बैठक के कार्यवृत्त ने ईएक्स लिमिटेड को किया।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

इसमें इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि क्या प्रस्तावित परिवर्तन तकनीकी विनिर्देश को गैर-सामान्य बना देंगे। इस प्रकार, टी. एस. सी. को निर्धारित करने के जनादेश से विचलित माना गया था।

सामान्य तकनीकी योग्यताएँ।

अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि विवादित तकनीकी विनिर्देशों को जब पिछले तीन वर्षों में से किसी एक में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को एक निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य की ऐसी आपूर्ति करने की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाता है, तो यूफ्लेक्स या मोंटेज के अलावा सभी बोलीदाताओं को समाप्त करने का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, उचित प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आया। तकनीकी बोली का मूल्यांकन उसी दिन किया गया था जिस दिन रिपोर्ट दिनांकित 24.12.2020 थी, लेकिन फिर भी विद्वान एकल न्यायाधीश को सूचित नहीं किया गया था कि होलोलिव सभी तकनीकी विनिर्देशों को पूरा नहीं करता है। क्या एकल न्यायाधीश को इसके बारे में पता था

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अलग दृष्टिकोण लिया गया होगा जो तीन योग्य बोलीदाताओं के आधार पर आगे बढ़े।

तकनीकी दृष्टि से यूफ्लेक्स और मोंटेज सहयोगी या सहयोगी कंपनियाँ नहीं थीं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दोनों संस्थाओं के बीच सांठगांठ की जांच करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया और क्या यह निविदा प्रक्रिया की अखंडता को बाधित करेगा।

मोंटेज की कुल इक्विटी शेयर पूंजी लगभग 6 करोड़ रुपये थी और यूफ्लेक्स का निवेश लगभग 6 करोड़ रुपये था। 152 मोंटेज की तरजीही शेयर पूंजी में करोड़ रुपये के निवेश से मोंटेज पर यूफ्लेक्स के प्रभाव की संभावना पैदा हुई, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यूफ्लेक्स एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी थी और मोंटेज लगभग 4 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ यूफ्लेक्स के शीर्ष गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों में से एक थी। यूफ्लेक्स और मोंटेज दोनों ने एक सामान्य स्रोत, यानी पेटेंट तकनीक [2021] 7 एस. सी. आर. से अव्यक्त छवि के उत्पादन के लिए अपनी तकनीक प्राप्त की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एटीबी लेटेंट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लिमिटेड (संक्षेप में 'एटीबी')। इस पहलू को ऊपर बताई गई बातों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

जी। मौजूदा अभिलेखों के परिणामस्वरूप एक निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि

शर्तें यूफ्लेक्स और मोंटेज के पक्ष में बनाई गई थीं और इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा आवश्यक थी और जनहित में थी

और वही निविदा प्रक्रिया को कमजोर करता है।

हमारे सामने विवादः

यूफ्लेक्स की ओर से प्रस्तुतियाँः

27. यूफ्लेक्स की ओर से दिए गए प्रस्तुतियों की व्यापक रूपरेखा निम्नानुसार हैः आई. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने टाटा सेल्युलर बनाम के फैसले पर भरोसा किया। भारत संघ 1 6 प्रस्तुत करेगा कि अल्फा और कुंभट के पास है

किसी भी जनहित, निविदा प्रक्रिया में किसी भी दोष या उस मामले के लिए किसी भी दुर्भावनापूर्ण या मनमानेपन को प्रदर्शित करने में विफल रहा। इस निवेदन के बावजूद, एन. आई. टी. की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं थीं और न्यायालय केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा कर सकता है।

ii. अल्फा और कुंभट का प्रयास यूफ्लेक्स को निविदा के पुरस्कार को किसी तरह विफल करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग करने का एक प्रयास है।

एक प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक उद्यम के रूप में सफल नहीं हुआ। यही बात न केवल इस मामले में बल्कि अन्य निविदाओं में भी सच थी, जैसा कि उनके प्रस्तुतिकरण से पता चलता है कि यूफ्लेक्स देश भर में कई निविदाओं में सफल रहा है। इसी आधार पर निविदा को चुनौती देने का उनका प्रयास मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष रिट अपील No.509/2016 में असफल रहा, जिसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी। डब्ल्यू. पी. No.4448/2016 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष उनके प्रयास में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ एस. एल. पी. को भी खारिज कर दिया गया था।

iii. याचिकाकर्ता ने लगभग एक करोड़ रुपये की बड़ी राशि का निवेश किया है। 10 अनुदान और कार्य जारी होने के बाद 87 लोगों को रोजगार दिया है।

आदेश दें। एक नागरिक विवाद का निर्णय, वर्तमान एक वास्तव में हो रहा है

उसी के समान, संभावनाओं की प्रधानता पर आधारित है। विवादित आदेश के आधार पर प्रतिकूल नागरिक परिणामों के साथ यूफ्लेक्स का दौरा करता है

कुछ "न्यायोचित संदेह" जो विवादित निर्णय में पाए जाते हैं। इस संबंध में, विवादित निर्णय के पैरा 47 के लिए संदर्भ आमंत्रित किया गया था, जिसमें कहा गया था, "रिकॉर्ड पर साक्ष्य निश्चित करने के लिए अपर्याप्त है।

16 आईडी.

यूएफएलएक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

यह निष्कर्ष निकालना कि निविदा की शर्तों को केवल दो योग्य बोलीदाताओं के अनुरूप बनाया गया था, हालांकि इस पर उचित संदेह के लिए पर्याप्त आधार है

यह गिनती "।

हम ध्यान दे सकते हैं कि इन टिप्पणियों के बाद इस प्रभाव की टिप्पणियाँ की गई हैं कि निष्कर्ष निकालने के लिए सबूत पर्याप्त थे।

कि निविदा विनिर्देश सामान्य नहीं थे और इस प्रकार, जी. ओ. के आदेश के साथ तैयार नहीं किए गए थे।

iv. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण जिसे कॉर्पोरेट पर्दा उठाने के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और फिर

06.09.2016 पर यह राय देते हुए कि यूफ्लेक्स और मोंटेज न तो एक होल्डिंग-सहायक कंपनी हैं और न ही सहयोगी कंपनी। उसी के खिलाफ दायर एसएलपी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को खारिज कर दिया गया था। वी. अल्फा और कुंभट की ओर से यह स्थापित करने में विफलता थी कि तकनीकी विनिर्देशों को पेटेंट किया गया था और यूफ्लेक्स और मोंटेज

उसी पर एकाधिकार था।

vi. यूफ्लेक्स के वकील ने टाटा सेल्युलर 1 7 में दिए गए फैसले और शुरुआत में ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर भरोसा जताया।

यह प्रस्तुत करते हुए कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है। , एयर इंडिया बनाम कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1 8, रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। आई. वी. आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ", मास्टर मरीन बनाम. मेटकाफ और हॉडकिंसन ", मिशिगन रबर 2 1 और भारत

खाना पकाने का कोयला वी। एएमआर देव 22

मोंटेज की ओर से प्रस्तुतियाँः

28. मोंटेज ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से काफी हद तक व्यथित यूफ्लेक्स की याचिका का समर्थन करने की मांग की कि यूफ्लेक्स और मोंटेज हैं

संबंधित संस्थाओं के रूप में इसका अन्य संविदात्मक और निविदा मामलों में मोंटेज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह इस संदर्भ में अधिक है कि

18 ( 2000 ) 2 एससीसी 617। 19 ( 1999 ) 1 एससीसी 492।

20 ( 2005 ) 6 एससीसी 138।

21 ( ऊपर)।

22 ( 2020 ) 16 एससीसी 759।

21 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन दोनों कंपनियों ने वास्तव में विभिन्न निविदाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की है

एक-दूसरे को सफलता। हानिकारक टिप्पणियाँ इस प्रभाव से की गईं कि एन. आई. टी. के तहत योग्यता भी दो योग्य बोलीदाताओं तक ही सीमित थी। इससे एन. आई. टी. की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, जिस पर गंभीर रूप से हमला किया गया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए

उपरोक्त धारणा कि यूफ्लेक्स और मोंटेज अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं, पर फिर से जोर दिया गया। मोंटेज द्वारा यूफ्लेक्स की सहायक कंपनी, यूटेक डेवलपर्स लिमिटेड के अधिग्रहण के कारण यूफ्लेक्स ने मोंटेज में लगभग Rs.152 करोड़ मूल्य के तरजीही शेयरों का वित्तीय निवेश किया था। ये वरीयता शेयर 7.50% भुनाने योग्य, गैर-संचयी, गैर-संचित हैं। भाग लेने वाले, गैर-परिवर्तनीय वरीयता शेयर और वही यूफ्लेक्स को मोंटेज पर कोई प्रभाव डालने की अनुमति नहीं देते हैं।

29. इसी तरह, यूफ्लेक्स की याचिका का समर्थन करते हुए, मोंटेज ने यह भी तर्क दिया कि एटीबी के माध्यम से पेटेंट प्रौद्योगिकी के सामान्य स्रोत का आरोप

इसका कोई आधार नहीं है क्योंकि मोंटेज के साथ कोई लाइसेंस व्यवस्था नहीं है

उक्त कंपनी ने न ही एटीबी को कोई लाइसेंस शुल्क दिया था। हालाँकि, इसके पास अव्यक्त छवियों का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुँच है क्योंकि इसने आवश्यक मशीनरी प्राप्त की है।

कुम्भट की ओर से प्रस्तुतियाँः

30. दूसरी ओर, कुंभट ने निम्नलिखित पर जोर देने की कोशिश कीः

विवादित निर्णय के समर्थन में पहलूः आई. जी. ओ. के अधिदेश में यह निर्धारित किया गया था कि तीन से अधिक बोलीदाताओं के पास उपलब्ध सुविधाओं को शामिल करके व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी विनिर्देशों को प्रकृति में सामान्य होना चाहिए और सरकार ने इसे दोहराते हुए स्वीकार किया कि कई बोलीदाता होने चाहिए। कुछ बातों पर समग्र अयोग्यता का तथ्य

एन. आई. टी. की शर्तों को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष नहीं उठाया गया था

और, इस प्रकार, गलत निष्कर्ष पर पहुंचा गया क्योंकि तीन से कम बोलीदाता थे। केवल दो योग्य बोलीदाता थे।

ii. केवल दो योग्य बोलीदाताओं के होने और एक ही पक्ष को पुरस्कार जाने का परिदृश्य निविदाओं के पुरस्कार से स्पष्ट है चार अन्य राज्यों द्वारा समान विनिर्देश। इस प्रकार, यूफ्लेक्स और मोंटेज व्यवसाय पर एकाधिकार करते प्रतीत होते हैं।

iii. डिवीजन बेंच और यहां तक कि हाई एफ. एल. ई. एक्स. लिमिटेड के समक्ष आयकर कार्यवाही में भी दोनों बोलीदाता एक-दूसरे से निकटता से संबंधित हैं।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]दिल्ली के टी ने दिनांक 06.09.2018 के आदेश में, मोंटेज ने लिया था

कि यूफ्लेक्स एक बहन कंपनी थी।

iv. लिखित अपील में मद्रास उच्च न्यायालय का पिछला फैसला

09/2016 प्रासंगिक नहीं था क्योंकि पाँच योग्य बोलीदाता थे और

एंडर की अलग-अलग परिस्थितियाँ थीं। इसके बाद भी था धारा 2 (एए) को लागू करके निविदा अधिनियम, 2017 को लागू करना।

धारा 10 (2) के प्रावधान के साथ, जिसने भागीदारी की शुरुआत की

घरेलू उद्यम। इस संबंध में, प्रासंगिक प्रावधान हैं:

यहाँ नीचे लिखा गया है:

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

[ ( (क) 'घरेलू उद्यम' का अर्थ है कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में परिभाषित

विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केंद्रीय अधिनियम 27), जो

वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करता है, सेवाएं प्रदान करता है या प्रदान करता है

राज्य के भीतर और उद्यमियों का भाग II दाखिल किया गया

जिला उद्योग केंद्रों में ज्ञापन या उद्योग दायर किया गया

आधार पोर्टल।] ”

.....

... .....

" 10. निविदा का मूल्यांकन और स्वीकृति।

XXXX XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

( 2 ) में निर्दिष्ट निविदाओं के मूल्यांकन और तुलना के बाद

उप-धारा (1), निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकरण स्वीकार करेगा

उद्देश्य और मात्रात्मक के आधार पर निर्धारित सबसे कम निविदा

निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट कारक और सापेक्ष भार देना

उनमें सेः

[ बशर्ते कि निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकरण स्वीकार करेगा

घरेलू उद्यमों की निविदा, जो सबसे कम निविदा नहीं है, ऐसी शर्तों की संतुष्टि, जो इस संबंध में निर्धारित की जाए

केवल निर्मित या उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं का

यदि ऐसा घरेलू उद्यम कीमत की बराबरी करने के लिए तैयार है सबसे कम बोलीः

21 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बशर्ते कि निविदा स्वीकार करने वाला प्राधिकरण इसे स्वीकार करेगा

सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सांविधिक बोर्ड और अन्य समान संस्थानों की निविदा जो अधिसूचित की जा सकती है, केवल वस्तुओं के संबंध में, ऐसी शर्तों की संतुष्टि पर जो निर्धारित की जा सकती हैं, सबसे कम निविदा नहीं है। विनिर्मित या उत्पादित और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली सेवाएं, और केवल उस खरीद में कुल आवश्यकता के चालीस प्रतिशत से अधिक की सीमा तक, यदि ऐसा निविदाकार सबसे कम निविदा की कीमत से मेल खाने को तैयार हैः

बशर्ते कि एकल खरीद के मामले में, उपरोक्त दो प्रावधानों के तहत कुल खरीद उस खरीद में कुल आवश्यकता के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।] "

कुम्भट एक एमएसएमई होने के नाते, इस प्रकार, तमिलनाडु में निविदाओं में भाग लेने का अधिकार चाहता है। 31. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि कुंभट ने आवेदन भी नहीं किया था और साझेदारी फर्म होने के नाते आवेदन भी नहीं कर सकता था, जबकि अल्फा कर सकता था।

एलएलपी होने के नाते आवेदन किया है लेकिन आवेदन नहीं किया है।

अल्फा की ओर से प्रस्तुतियाँः

विनिर्माण क्षमताः छत्तीसगढ़ निविदा में 2019 में एल-3,2011 और 2015 की निविदाओं में तमिलनाडु में एल-2 और आंध्र प्रदेश निविदा में 2021 में एल-3। इन निविदाओं में वर्तमान निविदा के विपरीत सामान्य विनिर्देश थे। अल्फा को केवल तकनीकी विनिर्देशों और इसके कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया पिछला अनुभव, अर्थात खंड 4.6 (बी) और 4.6 (सी), जो दो को छोड़कर सभी बोलीदाताओं को समाप्त करने का काम करते हैं।

33. अल्फा ने कुछ न्यायिक पहलुओं पर भरोसा करके न्यायिक हस्तक्षेप के आधार के रूप में सार्वजनिक हित के पहलू पर जोर देने की मांग की।

घोषणाएँ, अर्थात। , मोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम। उल्हासनगर नगर निगम। 23 और जगदीश मंडल 24.

तमिलनाडु सरकार की ओर से प्रस्तुतियाँः

34. आइए अब हम सबसे महत्वपूर्ण रुख की ओर मुड़ें जो तमिलनाडु सरकार का है, जो निविदा इकाई है। इस संबंध में

23 ( 2000 ) 5 एससीसी 287। 24 (ऊपर)।

यूएफएलएक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

जिस पर सीमा पर जोर देने की मांग की गई है, वह स्वयं जनहित है क्योंकि निविदा की शर्तें नकली शराब को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हैं बाजार में। 1999 के बाद से, केवल एक आपूर्तिकर्ता, होलोस्टिक इंडिया, वर्तमान निविदा को छोड़कर सभी निविदाओं में सफल रहा था, जहां उसने ऐसा करने की तकनीकी क्षमता होने के बावजूद भाग नहीं लेने का फैसला किया और अंततः तीन फर्मों, यानी यूफ्लेक्स, मोंटेज और होलोलिव ने भाग लिया।

35. तमिलनाडु राज्य ने इसके महत्व पर जोर देने का प्रयास किया

निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारदर्शिता। टी. एस. सी. में होलोग्राफी और मुद्रण प्रौद्योगिकी के प्रख्यात वैज्ञानिक शामिल थे और एन. आई. टी. को उनके विचार-विमर्श के बाद और उनसे इनपुट प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था। संभावित बोलीदाता। 'रंग परिवर्तन पृष्ठभूमि पर छिपे हुए पाठ' की गैर-होलोग्राफिक विशेषता का सुझाव आई. आई. टी. और आई. आई. टी. के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिया गया था।

अन्ना विश्वविद्यालय नवीनतम और सबसे सुरक्षित सुविधा है। इसका उद्देश्य होलोग्राम के नकली होने की संभावना को कम करना था।

36. खंड 4.1,4.5,4.6 (ए) और 4.6 (बी) के पहलू पर, जो तकनीकी बोली की सामान्य शर्तों और शर्तों का हिस्सा थे। और आपूर्ति और कारोबार में पिछले अनुभव के पहलू पर विचार करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि ये शर्तें 2015 की निविदा का भी एक हिस्सा थीं। इन्हें कुंभट द्वारा चुनौती दी गई थी और रिट अपील को खारिज कर दिया गया था, और इस आदेश की एसएलपी में पुष्टि की गई थी, जैसा कि पहले ही यहाँ निर्धारित किया गया था।

37. इस बात पर जोर दिया गया कि अल्फा की शिकायत कि उन पर दरवाजा बंद किया जा रहा है, को शुद्धिपत्र 2 के माध्यम से संबोधित किया गया था, जिसने अनुमति दी थी।

निविदा में भाग लेने के लिए एलएलपी। उसी शुद्धिपत्र ने फिल्म जोड़कर केवल पोलरॉइड के माध्यम से दिखाई देने वाले छिपे हुए पाठ से संबंधित मुद्दे को संबोधित किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि डिवीजन बेंच ने गलत तरीके से नोट किया कि छिपे हुए रंग विनिर्देश का पेटेंट कराया गया था और कोई भी योग्य बोलीदाता नहीं थे जो उसी के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे क्योंकि जवाबी हलफनामे में निविदाओं की एक सूची होती है जिसमें समान शर्तें थीं और पार्टियां उसी में सफल हुई थीं। उदाहरण के लिए, 2019-22 उत्पाद शुल्क विभाग छत्तीसगढ़ निविदा में समान शर्तें थीं और प्रिज्म होलोग्राफी सफल रही। उसी निविदा में दो अन्य संस्थाएं थीं जिन्होंने अर्हता प्राप्त की थी, जिसमें अल्फा भी शामिल था।

38. निविदा शर्तों के अनुरूप बनाए जाने और डी. ओ. एस. ए. के सिद्धांतों को लागू करने के पहलू पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि अक्षांश होना चाहिए

जहाँ ऐसी उच्च सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं। 25

25 एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स v. भारत संघ (2005) 1 एस. सी. सी. 679।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

39. अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसा कुछ भी असाधारण या अनोखा नहीं था जो उत्तरदाताओं और अभ्यास द्वारा किया जा रहा था।

पालन की जाने वाली प्रथाएं अन्य राज्यों की प्रथाओं के समान थीं। विवादित तकनीकी विनिर्देशों का उपयोग अतीत में कई राज्यों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया है और निविदाएं यूफ्लेक्स और मोंटेज के अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी दी गई थीं। यह विश्वास होगा कि

यह तर्क कि प्रौद्योगिकी का पेटेंट कराया गया था और केवल कुछ चयनित कंपनियां ही पात्र थीं। इतना ही नहीं, शुद्धिपत्र 2 को देखते हुए, पहचानकर्ता के रूप में फिल्म के साथ देखने योग्य रंग परिवर्तन पृष्ठभूमि ने पेटेंट तकनीक की कठोरता को आकर्षित नहीं किया। लगभग एक समान निविदा में निविदा प्रक्रिया के दौरान छत्तीसगढ़, यूफ्लेक्स और मोंटेज राज्य सफल नहीं हुए।

निष्कर्षः

40. हमें यह ध्यान में रखते हुए शुरुआत करनी चाहिए कि हम मामले की जांच कर रहे हैं, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, शुरुआत में चर्चा किए गए मापदंडों पर। में।

वाणिज्यिक निविदा मामलों में स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा का एक पहलू है। निविदा प्राप्त करने वाले प्रत्येक सफल पक्ष के लिए कुछ या अधिक पक्ष हो सकते हैं जिन्हें निविदा प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि केवल एक एल-1 हो सकता है। सवाल यह है कि क्या एक निविदा देने वाले पक्ष की स्वतंत्रता को कम करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए।

राज्य द्वारा की गई आर्थिक गतिविधि की, लेकिन इसके तहत रूपरेखाएँ जिनकी जांच की जानी है, वे टाटा सेल्युलर 2,6 और अन्य मामलों में निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य न्यायालय को यह जांच करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण बनाना नहीं है कि निविदा किसे दी जानी चाहिए।

अर्थशास्त्र को अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए निविदा प्राधिकरण को सबसे अच्छी तरह से पता हो कि प्रौद्योगिकी और मूल्य के मामले में उनके लिए क्या उपयुक्त है।

41. वर्तमान विवाद का मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कई पूर्व प्रयासों का इतिहास रहा है जो असफल साबित हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिस्पर्धी बाजार में वे इतने सफल नहीं रहे हैं।

वे बनना चाहेंगे। केवल इसलिए कि एक कंपनी अधिक कुशल है, बेहतर तकनीक प्राप्त करती है, अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियां करती है और इस प्रकार, अधिक सफल होती है, उस कंपनी को वाणिज्यिक लाभ से वंचित करने का एक कारक नहीं हो सकता है। 26 ( ऊपर)।

यूएफएलएक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

उस बहाने से सफलता। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यही हो रहा है; कि दो मूल याचिकाकर्ता केवल इसलिए उत्तराधिकारी पक्ष के रास्ते में लगातार बाधाएं पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं इतने सफल नहीं हुए थे। इस प्रकार हमारा विचार है कि डिवीजन बेंच ने प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक औचित्य पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में लगभग बैठक करने में गलती की है, जो वह भूमिका नहीं है जो एक न्यायालय को निभानी चाहिए।

42. निविदा प्रक्रिया से पहले ही नियंत्रण और संतुलन

विभिन्न समितियों, विशेष रूप से टी. एस. सी. और टी. एस. एफ. सी. के गठन द्वारा प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य इन समितियों की भूमिका को अलग से परिभाषित करना है।

44. जिसे "पेटेंट तकनीक" कहा गया था, उसके बारे में शिकायत की गई थी। उस स्तर पर जब संबंधित समितियाँ अभी भी थीं पक्षों की आपत्तियों/सुझावों को देखते हुए, कुंभट और अल्फा अदालत में पहुंचे। राज्य सरकार ने जारी करके राहत प्रदान की

छिपे हुए पाठ से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक शुद्धिपत्र केवल पोलरॉइड के माध्यम से दिखाई दे रहा है, क्योंकि रंग परिवर्तन पृष्ठभूमि फिल्म के साथ देखी जा सकती है एक पहचानकर्ता के रूप में इस कथित पेटेंट तकनीक की कठोरता को आकर्षित नहीं किया।

यह मुद्दा वास्तव में उस शुद्धिपत्र के साथ समाप्त हो गया था।

45. जहाँ तक प्रतिभागी संस्थाओं का संबंध है, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सभी को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकृति के मामले। वास्तव में, प्रत्येक निविदा में कुछ योग्यता मानदंड होते हैं चाहे वह प्रौद्योगिकी हो या कारोबार। अदालत नहीं बैठ सकती

किसी संस्था के भाग लेने के लिए आवश्यक कारोबार क्या होना चाहिए, इस पर निर्णय लेना। केवल एक सीमित कंपनी को भाग लेने की अनुमति दिए जाने से उत्पन्न निषेध को फिर से एलएलपी को भाग लेने की अनुमति देने वाले शुद्धिपत्र द्वारा संबोधित किया गया था। यदि कुंभट और अल्फा जैसी संस्थाएं भाग लेना चाहती हैं तो उन्हें कुछ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। अल्फा पहले से ही एक एलएलपी है। कुंभत इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि यह एक साझेदारी [2021] 7 एस. सी. आर. बनी रहेगी।

अकेले और, इस प्रकार, उस साझेदारी को अनिवार्य रूप से भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

46. जहां तक निविदा अधिनियम के आधार पर कुंभट की याचिका का संबंध है, प्रावधानों को पढ़ने से पता चलेगा कि न्यूनतम निविदा की कीमत से मेल खाने की उनकी इच्छा के आधार पर एमएसएमई को आदेश के 25 प्रतिशत तक कुछ लाभ दिए जाने की मांग की गई है। हालाँकि, उस लाभ का लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए, यह एक ऐसी इकाई होनी चाहिए जो निविदा शर्तों के संदर्भ में बोली लगाने में सक्षम हो। एलएलपी की सीमित कंपनियों तक भागीदारी को सीमित करने के खिलाफ कोई प्रतिबंध नहीं है। घरेलू

निविदा अधिनियम में उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम में परिभाषित किसी भी सूक्ष्म और लघु उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। यह तर्क भी एक विचार के बाद प्रतीत होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुंभट ने एमएसएमई जैसे अधिकार का दावा करते हुए भाग लिया था।

47. अब तीन बोलीदाताओं या तीन से अधिक बोलीदाताओं की आवश्यकता के मुद्दे पर आते हुए, तथ्यात्मक स्थिति यह है कि तीन बोलीदाता थे और उनमें से एक तकनीकी विनिर्देशों को पूरा करता था, लेकिन एन. आई. टी. के भाग 4 के तहत वित्तीय मुद्दों और कारोबार पर आगे सफल नहीं हुआ। उसी का उपयोग पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

हम एक ऐसी प्रकृति की कोमलता के साथ काम कर रहे हैं जहाँ निर्वात नहीं हो सकता है। यदि आवश्यकता से कम भागीदारी है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वास्तव में निविदा के नियमों और शर्तों ने एक डी. ओ. एस. ए. का पालन किया है, और किसी भी तरह से किसी एक पक्ष को निविदा देना है। विभिन्न राज्यों की कई निविदाओं में इसी तरह की शर्तें निर्धारित की गई हैं और अलग-अलग उत्तराधिकारी पक्ष रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों की सफलता की दर

48. हमने इस तथ्य के आधार पर प्रस्तुतियों पर भी ध्यान दिया है कि अल्फा और कुंभट के बार-बार किए गए प्रयास न केवल पहले ही विफल रहे हैं मद्रास उच्च न्यायालय लेकिन एक समान चुनौती के आधार पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष। मोटे तौर पर, इसी तरह की निविदा शर्तों को बरकरार रखा गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार निविदा जारी होने पर कुंभट और अल्फा को किसी न किसी बहाने से समझौता करने की अनुमति दी जाए। जैसा कि देखा गया है, यह यूएफएलएक्स लिमिटेड है।

वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

वास्तव में एन. आई. टी. की शर्तों की जांच करना न्यायालय का कार्य नहीं है, क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसकी न्यायिक जांच में समीक्षा की जा सकती है। 27 49. दोनों कंपनियों, यानी यूफ्लेक्स और मोंटेज के बीच वित्तीय संबंधों पर गौर करने के लिए नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा बहुत जोर दिया गया है। इस मुद्दे की जांच करने का सही तरीका यह होना चाहिए था कि क्या एन. आई. टी. की शर्तों के तहत, कोई भी पहलू

जिनका न्यायालय द्वारा परीक्षण किया गया था, उन्हें अयोग्यता कहा जा सकता है। हमारे विचार में, इसका उत्तर नकारात्मक था। एक कंपनी ने बिना किसी नियंत्रित ब्याज के कुछ तरजीही शेयरों के माध्यम से दूसरे में निवेश किया था, यह न्यायिक जांच का आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामला अंतर-निगमित लड़ाई या अल्पमत का नहीं है

अधिकार या किसी भी देय ऋण का दावा करने वाले शेयरधारक, जहां निगमित पर्दा उठाने का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। कुछ आयकर कार्यवाही में किसी ने जो कहा होगा, क्या एक कंपनी के धन का एक छोटा प्रतिशत दूसरे में निवेश के रूप में उपयोग किया गया है, शायद ही ऐसे सिद्धांत हैं जो इस तरह के निविदा मामले में लागू होने चाहिए।

50. इस प्रकार हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि आक्षेपित आदेश को उपरोक्त सभी कारणों से कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखा जाना चाहिए। और तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

खर्चः

51. कारण के बाद की लागत एक ऐसा सिद्धांत है जिसका अधिकांश देशों में पालन किया जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी न्यायिक प्रणाली में अक्सर लागत लगाने में हिचकिचाहट होती है, यह मानते हुए कि यह वकील पर एक प्रतिबिंब है। यह सही तरीका नहीं है। किसी राज्य के खिलाफ अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संघर्ष में अलग-अलग सिद्धांत लागू होते हैं लेकिन वाणिज्यिक मामलों में लागत को कारण का पालन करना चाहिए।

दीवानी मुकदमेबाजी से संबंध। इसके लिए कारण अशोक कुमार मित्तल बनाम मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां थीं। राम कुमार गुप्ता 2 28 और विनोद सेठ बनाम। देविंदर बजाज 2 9. न्यायिक घोषणाओं ने लिया दीवानी मामलों में कम लागत लगाने पर ध्यान दें जो अहंकार या लालच से उत्पन्न कष्टप्रद या विलासिता मुकदमेबाजी के लिए निवारक के रूप में कार्य नहीं करते थे या

27 टाटा सेल्युलर (ऊपर)। 28 ( 2009 ) 2 एससीसी 656। 2 9 29 (2010) 8 एस. सी. सी 1.

इसे 'खरीद समय' रणनीति के रूप में अपनाया गया। ये दो न्यायिक घोषणाएँ

संजीव कुमार जैन बनाम में उनका अनुसरण किया गया। रघुबीर सरन चैरिटेबल ट्रस्ट 3 0 उक्त कार्यवाही में विधि आयोग ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा कि भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट में निहित लागतों से संबंधित प्रावधानों में उचित परिवर्तनों का संसद और संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। 53. हम ध्यान दे सकते हैं कि इन तीनों मामलों में सामान्य धागा हितकारी सिद्धांतों की पुनरावृत्ति हैः ( i) लागत सामान्य रूप से घटना के बाद आनी चाहिए; (ii) लगातार बढ़ते मुकदमेबाजी के खर्च को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी लागतें दी जानी चाहिए; और (iii) लागत को तुच्छ और परेशान करने वाले मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। 31

54. हम ध्यान दें कि भारत में यह प्रयास हमारे देश के लिए अद्वितीय नहीं है और एक तरह से इंग्लैंड में प्रचलित लागत के सिद्धांत को अपनाता है।

घटना के बाद। संयुक्त राज्य में स्थिति कुछ अलग हो सकती है। राज्य लेकिन फिर अलग-अलग सिद्धांत लागू होते हैं जहां चैम्पर्टी प्रचलित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जैसे अधिकांश देशों में विवेकाधिकार न्यायालय के पास है। लागतों के लिए एक आनुपातिकता होनी चाहिए और यदि वे अनुचित हैं, तो संदेह का समाधान भुगतान करने वाले पक्ष के पक्ष में किया जाएगा। हैल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार, पुरस्कार देने का विवेकाधिकार

लागत का प्रयोग न्यायिक रूप से और कारण और न्याय के अनुसार किया जाना चाहिए। 3 इसमें निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गए हैंः

" यह तय करने में कि लागत के बारे में क्या आदेश (यदि कोई हो) देना है, न्यायालय को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें शामिल हैंः ( (i) सभी पक्षों का आचरण;

( (ii) क्या कोई पक्ष अपने मामले में सफल हुआ है, भले ही वह

पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है; और

( (iii) न्यायालय में कोई भी भुगतान या निपटान के लिए स्वीकार्य प्रस्ताव

एक पक्ष जो न्यायालय का ध्यान आकर्षित करता है।

पक्षों के आचरण में शामिल हैंः

30 ( 2012 ) 1 एससीसी 455। 31 भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट No.240। 32 यू. के. सिविल प्रक्रिया नियम 44.2

33 खण्ड. 10 , 4 टी एड। ( पैरा 15)।

यूएफएलएक्स लिमिटेड। वी. तमिल नाडु और ओआरएस की सरकार। [ संजय किशन कौल, जे।]

ए। कार्यवाहियों से पहले और साथ ही कार्यवाही के दौरान और विशेष रूप से जिस हद तक पक्षों ने किसी भी प्रासंगिक कार्य का पालन किया

पूर्व-कार्रवाई प्रोटोकॉल;

बी। क्या किसी पक्ष के लिए इसे उठाना, आगे बढ़ाना या आगे बढ़ाना उचित था

किसी विशेष आरोप या मुद्दे का विरोध करना;

सी। जिस तरह से किसी दल ने उसका पीछा किया है या उसका बचाव किया है

मामला या कोई विशेष आरोप या मुद्दा; और

डी। क्या एक दावेदार जो अपने दावे में सफल रहा है, पूरी तरह से

या आंशिक रूप से, अपने दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। 34

55. हम यह भी जोड़ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और कनाडा में समान सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो काफी हद तक सामान्य कानून सिद्धांत पर आधारित हैं।

वास्तव में कनाडा में, मैनिटोबा विधि आयोग की रिपोर्ट ने 'सिविल मुकदमेबाजी में लागत पुरस्कार' का विश्लेषण किया और छह व्यापक लक्ष्यों का उल्लेख किया:

ए। क्षतिपूर्ति-सफल वादियों को कम से कम आंशिक रूप से होना चाहिए

उनकी कानूनी लागतों के खिलाफ क्षतिपूर्ति;

बी। निरोध-संभावित वादियों को दावे के गुण-दोष का सावधानीपूर्वक आकलन करना चाहिए और किसी भी अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचना चाहिए।

डी। विवादों के शीघ्र निपटारे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ई. लागत व्यवस्था को न्याय तक पहुंच की सुविधा प्रदान करनी चाहिए; और

एफ. यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों में लचीलापन होना चाहिए कि न्याय हो सकता है

किया। 35

56. हमने उपरोक्त को निर्धारित किया है ताकि प्रशंसा हो।

इन सिद्धांतों में से कि वाणिज्यिक मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने में, पक्षों को वाणिज्यिक हितों को तौलना चाहिए, जिसमें परिणाम शामिल होंगे।

अदालतों द्वारा अनुकूल विचार प्राप्त नहीं करने वाले मामले का। मूर्खतापूर्ण अपील नियम नहीं होना चाहिए। हम इस बात से अवगत हैं कि मामले के दिए गए तथ्यों में प्रतिवादी खंड पीठ के समक्ष सफल हुए हैं, हालांकि वे विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विफल रहे हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि हमारे सामने सभी दल आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उन्होंने एक

34 10 थ वॉल्यूम। 4 टी एड। ( पैरा 17)। 35 विधि आयोग (ऊपर)।

इस कानूनी लड़ाई को इस न्यायालय तक ले जाने का व्यावसायिक निर्णय। इस प्रकार, उन्हें वर्तमान कार्यवाही में सफलता या विफलता के परिणामों और लागतों का सामना करना चाहिए।

57. किन लागतों पर खर्च किया गया है, इसका सबसे अच्छा प्रतिबिंब यह है कि पक्षों ने परामर्श शुल्क और जेब से किए गए खर्चों के लिए क्या भुगतान किया है। वर्तमान कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट कार्यवाही से उत्पन्न होती है लेकिन यह वास्तव में एक वाणिज्यिक विवाद है। इस प्रकार, असफल पक्ष वर्तमान विवाद के लिबास के पीछे नहीं छिप सकता है जो एक रिट कार्यवाही की प्रकृति में है। निविदा क्षेत्राधिकार वाणिज्यिक मामलों की जांच के लिए बनाया गया था और इस प्रकार, जहां पक्ष लगातार निविदाओं के पुरस्कार को चुनौती देना चाहते हैं, हमारा विचार है कि उत्तराधिकारी पक्ष को लागत मिलनी चाहिए और जो पक्ष हारता है उसे लागत का भुगतान करना चाहिए। यह वास्तव में एक तरफ दो वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच एक लड़ाई थी।

58. यह उपरोक्त उद्देश्य के साथ है कि हमने पक्षों को दिनांकित 17.08.2021 के आदेश के माध्यम से अपनी लागत का बिल दाखिल करने के लिए कहा था। उद्देश्य यह था कि उत्तराधिकारी पक्ष के लिए वास्तविक लागत की मात्रा निर्धारित करके इस सिद्धांत को लागू करना।

59. हमने शुल्क और लागत के बिल की जांच की है। हम वास्तविक लागतों की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं। हालाँकि, हमने लागतों को संशोधित किया है

अपीलार्थी अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड की इंगित राशि की सीमा तक चिंतित है और उसी के 50 प्रतिशत की अनुमति देता है। कुल लागत, इस प्रकार,

याचिकाकर्ता/अपीलार्थी को देय राशि Rs.23,25,750/- (केवल तेइस लाख पच्चीस हजार सात सौ पचास रुपये) होगी। जहां तक इस तरह के मुकदमे का बचाव करने में लागत के मुआवजे का संबंध है, राज्य सरकार को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है और इस प्रकार हम रु. 7,58,000/- (केवल सात लाख अड़तालीस हजार रुपये) की लागत की अनुमति देते हैं।

60. कुम्भट और अल्फा द्वारा उपरोक्त दोनों पक्षों के बराबर हिस्से में चार सप्ताह की अवधि के भीतर लागत का भुगतान किया जाना चाहिए।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन